न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 26 / 2025 FSSA

1. सरकार जरिये श्री तरूण सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   उत्तर पश्चिम रेल्वे जयपुर।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री कैलाश चंद मीणा पुत्र श्री प्रभु लाल (मालिक)
   निवासी आदर्श मीणा कॉलोनी, सैंथल मोड, चक दौसा ग्रामीण दौसा।
   मैसर्सः—प्रभु लाल टी स्टाल सरकुलेटिंग एरिया, रेल्वे स्टेशन दौसा राजस्थान।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 धारा 26 उप धारा 2(II)एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 30.04.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री तरूण सैनी ने दिनांक 22.03.2024 को प्रातः 11:00 बजे मैसर्स प्रभुलाल टी स्टाल सरकुलेटिंग एरिया, रेल्वे स्टेशन दौसा पहुंचे। जहां श्री कैलाश चंद मीणा पुत्र श्री प्रभु लाल मीणा यात्रियों को नाश्ता, चाय, नमकीन, मिठाई इत्यादि बेच रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री कैलाश चंद मीणा को अपना परिचय पत्र दिखाया एवं खान पान टी स्टाल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खान पान टी स्टाल पर मिश्रित दूध (मिक्सड मिल्क) रखा था, जिसे यात्रियों को बेचा जा रहा था एवं चाय कॉफी बनाने में उपयोग किया जा रहा था। खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध (मिक्सड मिल्क) में मिलावट का संदेह होने पर मौके पर फार्म 5 A, नोटिस तैयार किया और स्टाल पर मौजूद यात्रियों को गवाही हेतु बुलाया लेकिन कोई भी व्यक्ति गवाही के लिये तैयार नहीं होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ मौजूद श्री विष्णु दत्त शर्मा, एंटी मलेरिया खलासी, मेडिकल कॉलेज विभाग(स्वास्थ्य) उत्तर पश्चिम रेल्वे जयपुर को गवाह बनाते हुये श्री कैलाश चंद मीणा पुत्र श्री प्रभु लाल मीना से कुल 02 लीटर मिश्रित दूध (मिक्सड मिल्क) (प्रत्येक का वजन 500 मिली) वास्ते नमूना खरीदा। जिसकी कीमत 120 रूपये नकद देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से बिल प्राप्त किया। जिस पर विक्रेता श्री कैलाश चंद मीणा पुत्र श्री प्रभु लाल मीना एवं उपस्थित गवाह श्री विष्णु दत्त शर्मा के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्तारक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मिश्रित दूध (मिक्सड मिल्क) को चार बराबर हिस्सों में बांटकर अलग—अलग कर प्रत्येक हिस्से(500 मिली) को प्लास्टिक की फूड ग्रेड बोतल में डालकर प्रत्येक बोतल में 40 बूंद [illegible] बन्द किया। प्रत्येक भाग पर लेबल चिपकाये एवं लेबलों पर अभिहित अधिकारी के [illegible] सीरियल नम्बर **NWR-1220** दर्ज किया।। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं गवाह [illegible] विष्णु दत्त शर्मा व श्री कैलाश चंद मीणा विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूनों [illegible] खाली कागज के रैपर में लपेटर कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे की हस्ताक्षर शुदा [illegible] स्लीप नम्बर **NWR-1220** नियमानुसार नीचे से उपर एवं दाये से बायें लपेटकर सील चपडी किया। प्रत्येक भाग नमूना पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाये। तत्पश्चात् स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो के अपने कब्जे में लिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:03:33 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट(पंचनामा) तैयार कर विक्रेता एवं (मालिक) एवं गवाह के पढकर, सुनाकर, समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर श्री कैलाश चंद मीणा पुत्र श्र प्रभु लाल मीणाा(मालिक) एवं गवाह श्री विष्णु दत्त शर्मा ने पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं साथ ही फर्द रिपोर्ट पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे खाद्य नमूना सील चपडी किया गया था एवं प्रथम नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज. सरकार जयपुर को श्री विष्णु दत्त शर्मा, एंटी मलेरिया खलासी, मेडिकल कॉलेज विभाग(स्वास्थ्य) उत्तर पश्चिम रेल्वे जयपुर द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। दो फार्म नम्बर 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे में बंद कर चिपकाकर सील मोहर कर श्री विष्णु दत्त शर्मा द्वारा खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर को जमा करवाकर फार्म नम्बर 6 पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग 2 एवं भाग 3 मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों के साथ एवं नमूना भाग 4 आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी उत्तर पश्चिम रेल्वे जयपुर को श्री विष्णु दत्त शर्मा द्वार जमा करवाया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट संख्या **L.S./1015/Act/2024/1200** दिनांक 03.04.2024 के अनुसार जांच हेतु भेजी गई खाद्य सामग्री मिश्रित दूध (मिक्सड मिल्क) का नमूना अवमानक खाद्य(सबस्टैण्डर्ड फूड) होना पाया गया है। अभिहित अधिकारी उत्तर पश्चिम रेल्वे जयपुर द्वारा खाद्य नमूना के द्वितीय भाग की जांच रेफरल लैब से करवाने हेतु 30 दिन की मियाद दी गई, किन्तु अभियुक्तगण द्वारा आवेदन नहीं किया। जांच रिपोर्ट में अवमानक खाद्य(सबस्टैण्डर्ड फूड) पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याया निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित आया एवं मौखिक बहस किये जाने का निवेदन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या **L.S./1015/Act/2024/1200** दिनांक 03.04.2024 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध (मिक्सड मिल्क) में **Milk Solids not fat** की मात्रा 8.06 प्रतिशत ही पाई गई है जो कि कम से कम 8.5 प्रतिशत होनी चाहिये थी। **Milk Solids not fat** की मात्रा तय मानको से कम पाये जाने के कारण यह खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध (मिक्सड मिल्क) जांच रिपोर्ट में अवमानक खाद्य(सबस्टैण्डर्ड फूड) पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अवमानक खाद्य(सबस्टैण्डर्ड फूड) का विक्रय कर एफएसएसए की धारा 26 (2) (**II**) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थि[illegible] बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा खााद्य पदार्थ में मिश्रित दूध (मिक्सड मिल्क) में [illegible] प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा यह खाद्य पदार्थ चाय बनाने हेतु बा[illegible] से खरीदा गया था। प्रार्थी द्वारा वर्तमान में यह दुकान बन्द कर दी गई है एवं अन्य कार्य शुरू कर दिया गया है। अतः प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:03:33 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या **L.S./1015/Act/2024/1200** दिनांक 03.04.2024 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध (मिक्सड मिल्क) के नमूने में **Milk Solids not fat** की मात्रा तय मानकों से कम पाये जाने के कारण यह नमूना अवमानक खाद्य(सबस्टैण्डर्ड फूड) पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अवमानक खाद्य(सबस्टैण्डर्ड फूड) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2) (**II**) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 51 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अवमानक खाद्य(सबस्टैण्डर्ड फूड) मिश्रित दूध (मिक्सड मिल्क) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री कैलाश चंद मीणा पुत्र श्री प्रभु लाल मीणा(मालिक) मैसर्स प्रभु लाल टी स्टाल सरकुलेटिंग एरिया रेलवे स्टेशन दौसा निवासी आदर्श मीणा कॉलोनी, सैंथल मोड चक दौसा ग्रामीण जिला दौसा पर 2000/–(अक्षरे दो हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 30.04.2025 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)**के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/**FSSA**/ 2025/ दिनांकः– .2025

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री कैलाश चंद मीणा पुत्र श्री प्रभु लाल मीणा(मालिक) मैसर्स प्रभु लाल टी स्टाल सरकुलेटिंग एरिया रेलवे स्टेशन दौसा निवासी आदर्श मीणा कॉलोनी, सैंथल मोड चक दौसा ग्रामीण जिला दौसा।

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:03:33 IST
Reason: SelfAttested